

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक अक्टूबर, 2014

पत्र संख्या-1/एल01-10-21/2013 गृ0आ0 /श्रीमती अनुपमा निलेकर चन्द्रा, भा0पु0से0 (1994), पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2014 से 28.11.2014 तक कुल 33 (तैंतीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती चन्द्रा के अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक (बजट), बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-21/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अक्टूबर, 2014
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-21/2013 गृ0आ0 9065 /पटना, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्रीमती अनुपमा निलेकर चन्द्रा, भा0पु0से0 (1994), पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक (बजट), बिहार, पटना /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के विशेष सचिव।